





# न्यायालय, अपर समाहर्ता, खगड़िया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-19/2014

मनोज कुमार सिंह बनाम रूक्मिणी देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 03
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 0;">10.8.15</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">आदेश</p> <p>यह पुनरीक्षण वाद मनोज कुमार सिंह पे0-लक्ष्मीकांत सिंह, साकिन-सोण्डीहा, थाना-पसरहा, जिला-खगड़िया ने रूक्मिणी देवी पति दीपक कुमार सिंह, साकिन-सोण्डीहा, थाना-पसरहा, जिला-खगड़िया को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोगरी के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-39/2012-13 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र तथा विपक्षी का प्रत्युत्तर का गहन अध्ययन किया। साथ ही भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोगरी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-39/2012-13 में पारित आदेश का भी अवलोकन किया।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि विवादी भूमि को लेकर अवर न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या-97/2014 लंबित चल रहा है। विपक्षी ने भी इस बात को अपने प्रत्युत्तर में स्वीकार किया है।</p> <p>उपर्युक्त परिस्थिति में पक्षकारों को व्यवहार न्यायालय में लंबित वाद संख्या-97/2014 में अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।</p> <p>इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेजे तथा एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> </div> <p style="margin-top: 10px; font-weight: bold;">डी० सी० न०-322 / दिनांक - 27.11.2015</p> <p style="margin-top: 5px;">प्रतिवेपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी को सूचना के एवं कानूनपालनार्थ प्रेषित। साथ ही आपका मूल अभिलेख वापस किया जाता है।</p> <p style="margin-top: 5px;">प्रतिवेपि :- N.I.C., खगड़िया को सूचना के एवं कानूनपालनार्थ प्रेषित।</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता,              खगड़िया।              27/11/15         </div> </div> </div>	

for  
COMPLIES  
Time 12/31/15